राजस्थान सरकार

कार्यालय अध्यक्ष, जिला आपदा प्राधिकरण एवं जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

क्रमांक :– एफ./जिआप्रप्रा/सहायता/सान्याअवि/वि.यो./2020/1539-52 दिनांक :– 3 .04.2020

01. जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर
02. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, उदयपुर
03. आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर
04. उपखण्ड अधिकारी, समस्त उपखण्ड, जिला उदयपुर
05. जिला रसद अधिकारी, प्रथम/द्वितीय, उदयपुर
06. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर
07. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उदयपुर
08. उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उदयपुर
09. विकास अधिकारी, समस्त पंचायत समिति, जिला उदयपुर
10. तहसीलदार, समस्त तहसील, जिला उदयपुर
11. लीड बैंक अधिकारी, जिला उदयपुर
12. प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, उदयपुर
13. अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर पालिका, जिला उदयपुर
14. हेड पोस्ट मास्टर, चेतक सर्कल/शास्त्री सर्कल, उदयपुर

विषय :– कोरोना वायरस (COVID – 19) को राष्ट्रीय आपदा घोषित किये जाने की स्थिति को देखते हुये दिव्यांगजनों के संरक्षण और सुरक्षा के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :– श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं आयुक्त, विशेष योग्य जन, राजस्थान के आदेश क्रमांक 2594 दिनांक 30.03.2020 के सन्दर्भ में ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.03.2020 द्वारा कोरोना वायरस (COVID – 19) को राष्ट्रीय आपदा घोषित किये जाने की स्थिति को देखते हुये जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से दिव्यांगजनों (निःशक्त जन अधिनियम अन्तर्गत 40 या 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति) के संरक्षण और सुरक्षा के लिये व उनकी आवश्यक्ताओं एवं समस्याओं के हर सम्भव निराकरण के लिये निम्नानुसार दिशा – निर्देश जारी किये जाते हैं –

- जिले के सभी चिकित्सालयों में दिव्यांगजनों को व उनमें भी बच्चों एवं महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सीय सुविधायें व जाँच आदि की सुविधा प्रदान की जावे ।
- आपातकाल के दौरान दिव्यांगजनों को यात्रा पास जारी करते समय सुरक्षात्मक बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जावे एवं उन्हें सेनेटाईज्ड किये जाने बाबत् जानकारी भी दी जावे । दिव्यांगजनों को लाने व ले जाने हेतु आवश्यकतानुसार उनके सहायकों/परिजनों को लॉकडाउन के दौरान सरलीकृत रूप में प्राथमिकता के आधार पर भी पास जारी करें ।

Scanned by CamScanner

- दिव्यांगजनों को आवश्यकतानुसार उनके निवास पर राशन/भोजन, पानी, दवाईयाँ आदि वितरित की जावे । इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग आवश्यकतानुसार लिया जा सकता है ।
- जिले के **"विशेष योग्यजन पेंशन"** प्राप्त कर रहे दिव्यांगजनों की ग्राम पंचायत वार व ब्लॉक वार सूची समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग अग्रेषित करेंगे ताकि दिव्यांगजनों को आवश्यक सुविधायें प्रदान की जा सके । इसके अतिरिक्त जिले में विशेष योग्यजन के क्षेत्र में संचालित संस्थाओं, गृहों, विद्यालयों व छात्रावासों में आवासित दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं का निराकरण किया जावे । इस बाबत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी विशेष ध्यान देवें व आवश्यकतानुसार विजिट भी करें ।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन व अन्य व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं अन्तर्गत समस्त बैंकों के बी. सी., पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टरों द्वारा सहायता राशि का लाभार्थियों को घर – घर जाकर पारदर्शितापूर्वक वितरण किया जावे । वितरण के दौरान कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने/बचने से सम्बन्धित प्रोटोकॉल की पालन की जावे ।

उपरोक्त निर्देशों की सभी सम्बन्धित विभाग/अधिकारी पालना सुनिश्चित करें । इस कार्य हेतु आवश्यकतानुसार स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग भी लिया जा सकता है । राज्य सरकार द्वारा श्री मान्धाता सिंह, जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उदयपुर (मो. नं. 9414168330) को दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है । दिव्यांगजन की आधारभूत सुविधाओं, सुरक्षा व संरक्षण को मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर विशेष ध्यान देते हुये पूर्ण सहयोग करें ।

संलग्न :– 01. उक्त प्रासंगिक पत्र की प्रति
02. विशेष योग्यजनों की सूचियाँ

(आनन्दी (IAS))
जिला कलक्टर,
उदयपुर

क्रमांक :– एफ./जिआप्रप्रा/सहायता/सान्याअवि/वि.यो./2020/1553 दिनांक :– 3 .04.2020
प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु –

01. निदेशक महोदय, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर
02. अति. जिला कलक्टर (प्रशासन/शहर), उदयपुर
03. निजी सचिव, माननीय प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं आयुक्त विशेष योग्यजन, सचिवालय, जयपुर
04. निजी सचिव, जिला कलक्टर, उदयपुर

जिला कलक्टर,
उदयपुर

Scanned by CamScanner